B.A. PART-I
PAPER - Ist

लोककल्याणकारी राज्य का सिद्धांत (Theory of welfare state):

आधुनिक समय में राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बंध में एक नया सिद्धांत का जन्म हुआ जिसे लोककल्याणकारी राज्य का सिद्धांत कहा जाता है। 18 वीं एवं 19वीं शदी में व्यक्तिवादी विचारधारा का बोलबाला था इस शदी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया जाता था। राज्य का काम व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना था। विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना, आंतरिक शांति की व्यवस्था करना तथा न्याय करना एवं अपराधियों को दंड देना ही राज्य का कार्य समझा जाता था। सच तो यही है कि व्यक्तिवादियों ने 'पुलिस राज्य' (Police State) के विचार का प्रतिपादन किया। लेकिन 20 वीं शदी में समाजवाद का उदय होने से राज्य का कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हुआ और अब व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण जरूरी माना जाता है। समाजवाद के आने से ही 'पुलिस राज्य' का सिद्धांत समाप्त हो गया और लोककल्याणकारी राज्य का सिद्धांत का जन्म हुआ। यह सिद्धांत व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का समन्वय करता है। लोककल्याणकारी राज्य अनावश्यक रूप से व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता। वह वहीं हस्तक्षेप करता है जहाँ तक स्वतंत्रता की रक्षा हो और जीवन समृद्ध हो।

Origin and evolution of welfare state:

England में सर्वप्रथम रानी एलिजाबेथ (प्रथम) के शासनकाल में (Poor Law Act) 'गरीबी कानून अधिनियम' पारित हुआ। इस कानून के निर्माण से सर्वप्रथम लोककल्याणकारी राज्य का बीजारोपण इंग्लैण्ड में हुआ। इस Act के तहत भिखारियों, अपाहिजों और अनाथों की सेवा तथा पालन-पोषण के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया।

फ्रांस के नेपोलियन तृतीय ने भी अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा करने के लिए सार्वजनिक मताधिकार, मजदूर संघ, मजदूरी में वृद्धि और गृह एवं राज्य-सहायता-प्राप्त-बीमा योजना के सिद्धांतों को कार्यरूप दिया।

बिस्मार्क ने भी जर्मनी में लोककल्याण के सिद्धांत का प्रयोग किया। उसने बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना सम्बंधी सामाजिक बीमा की योजनाओं को लागू कर सामाजिक नीतियों को क्रियान्वित किया।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट की 'नई नीति' (New Deal) तथा राष्ट्रपति ट्रूमैन की 'उचित नीति' (Fair Deal) सम्बंधी विचारों को ले सकते हैं यह लोककल्याण के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है।

Scanned with CamScanner

भारतीय संविधान की 'प्रस्तावना' (Preamble) तथा 'नीति-निदेशक तत्वों' (D.P.S.) (Art. 36 to 51, part IV) के अंतर्गत इसकी उद्घोषणा कर दी गई है कि भारत का उद्देश्य एक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना है।

Meaning :

लोककल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा अन्य पहलुओं को विकसित करने का प्रयास करता है। इसका सम्बंध नागरिकों के सर्वांगीण विकास से है। इसका उद्देश्य सामाजिक शोषण का अंत करना और कलात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना है।

गार्नर, "कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सांवृद्धीय जीवन, सांवृद्धीय धन तथा जीवन के भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक स्तर को विस्तृत करना है।"

लोककल्याणकारी प्रशासन के लिए आवश्यक शर्तें :

लोककल्याणकारी राज्य की सफलता के लिए निम्न दशाओं का होना आवश्यक है -

(i) नीति तथा लक्ष्यों में स्पष्टता
(ii) प्रशासन तथा जनता की दूरी का अंत
(iii) जनसहयोग -
(iv) प्रशासक के विशिष्ट गुण
(v) उदार प्रशासन -
(vi) सफलताओं का मूल्यांकन -
(vii) सार्वजनिक वित्त का सदुपयोग -
(viii) प्रशासन में उचित समन्वय -
(ix) विकेन्द्रीकरण पर बल
(x) आवश्यक पदार्थों पर सरकारी नियंत्रण

लोककल्याणकारी राज्य की समस्याएँ :

यह निम्न बाधाओं और समस्याओं के चलते अपने उद्देश्य को अभी तक प्राप्त नहीं कर सका है -

Scanned with CamScanner

(a.) उत्पादन का निम्न स्तर —

(b.) काम के प्रति उत्साह की कमी —

(c.) अधिक कर की समस्या

(d.) जनसंख्या की समस्या —

(e.) यातायात की समस्या —

(f.) पारम्परिक मान्यताओं, प्रथाओं, रीति-रिवाजों का मानना

(g.) जनता की अशिक्षा

(h.) बेरोजगारी —

समस्याओं को दूर करने के उपाय :

(i) कठिन परिश्रम करने की तीव्र इच्छा —

(ii) भारी उद्योगों का विकेन्द्रीकरण —

(iii) न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण —

(iv) जनसंख्या की वृद्धि पर रोक आदि।

Dr. Akhlakh Ahmad.
(Assistant Prof.) Dept of Polsc
D.K. College, Dumraon.

Scanned with CamScanner